माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय
(मध्य प्रदेश विधानसभा के अधिनियम क्रमांक 15, 1990 द्वारा स्थापित)
MAKHANLAL CHATURVEDI NATIONAL UNIVERSITY OF JOURNALISM & COMMUNICATION
(Setup by Act No. 15, 1990 of M.P. Legislative Assembly)

क्रमांक/984/स्था./2019 भोपाल, दिनांक 03/06/2019

संशोधित–आदेश

प्रबंध उपसमिति की बैठक दिनांक 04 जुलाई, 2018 में कार्य सूची के बिन्दु क्रमांक 07 में उल्लेखित **चाईल्ड केयर अवकाश नीति** को अनुमोदन प्रदान किया गया है। विश्वविद्यालय द्वारा आदेश क्रमांक/अका./2018/1183 भोपाल, दिनांक 12/07/2018 एवं आदेश क्रमांक/1823/स्था./2018 भोपाल, दिनांक 17/10/2018 जारी किया गया, इन आदेशों में संशोधन करते हुए, निम्नानुसार संतान पालन अवकाश (Child Care Leave) नियमावली को अधिसूचित एवं लागू किया जाता है।

संतान पालन अवकाश नियमावली

1. जिन महिला अभ्यार्थियों की संतान, विकलांग/गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, उन महिला अभ्यार्थियों को संतान पालन अवकाश में जिला चिकित्सालय मेडिकल बोर्ड का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने की दशा में प्राथमिकता दी जावेगी।
2. इसी प्रकार उन महिला अभ्यार्थियों को भी संतान पालन अवकाश में प्राथमिकता दी जावेगी, जो परित्यक्ता, विधवा, तलाकशुदा एवं विकलांग की श्रेणी में आती हों, साथ ही साथ उन महिला कर्मचारियों को भी प्राथमिकता दी जावेगी, जिनके पति महिला अभ्यार्थी की पदस्थापना स्थान से अन्यत्र स्थान पर पदस्थ/कार्यरत हों।
3. उन महिला अभ्यार्थियों को भी संतान पालन अवकाश में प्राथमिकता दी जावेगी, जिनके पति टर्मिनल/गंभीर बीमारी से ग्रस्त हों।
4. यदि किसी स्तर पर किसी विषय में महिला अभ्यार्थियों की संख्या अधिकतम होती है, तो ऐसी स्थिति में उन महिला अभ्यार्थियों को प्राथमिकता दी जावेगी, जिनकी संतान की उम्र कम होगी।
5. संतान पालन अवकाश इस प्रकार स्वीकृत किया जावेगा कि विश्वविद्यालय मुख्यालय एवं समस्त परिसरों को मिलाकर किसी भी स्थिति में एक समय में विश्वविद्यालय में संतान पालन अवकाश स्वीकृत करने की संख्या 10 से अधिक नहीं हो सकेगी।
6. जिन महिला अभ्यार्थियों को संतान पालन अवकाश स्वीकृत किया जावेगा, उनका तत्कालीन पद रिक्त मानते हुए, अवकाश से वापस आने पर उनकी पदस्थापना विश्वविद्यालय के किसी भी विभाग में अथवा विश्वविद्यालय के अन्य परिसर में समकक्ष रिक्त पद पर की जा सकेगी।
7. प्राथमिकता तय करने व संख्या निर्धारित करने के लिए प्रकरण त्रैमासवार, प्रत्येक त्रैमास में एकत्र कर उपरोक्त तय प्राथमिकता के परिप्रेक्ष्य में निराकृत किये जावेंगें।
8. संतान पालन अवकाश आवेदन करने हेतु निर्धारित समय सीमा अर्जित अवकाश की भॉति अर्थात तीन सप्ताह पूर्व ही होगी। संतान पालन अवकाश आवेदन निर्धारित प्रोफार्मा में भरकर प्रस्तुत करना होगा। साथ ही विभाग प्रमुख की अनुशंसा प्राप्त करना अनिवार्य है।
9. संतान पालन अवकाश उन महिला अभ्यार्थियों को स्वीकृत किया जा सकेगा, जिनकी संतान की आयु 18 वर्ष से कम हैं **अथवा** जिनकी संतान कम से कम चालीस प्रतिशत निःशक्तता वाली तथा बाईस वर्ष से कम आयु की है। संतान पालन अवकाश की पात्रता के लिए संतानों की संख्या तथा आयु का प्रमाणीकरण एवं निःशक्तता प्रमाण–पत्र अपरिहार्य है।

पृष्ठ–1 (शेष अगले पृष्ठ पर)

बी–38, विकास भवन, प्रेस कॉम्पलेक्स, एम.पी. नगर, जोन–1, भोपाल (म.प्र.)– 462011, फोन: (0755) 2551642 फैक्स : (0755) 2551641
B-38, Vikas Bhawan, Press Complex , M.P. Nagar, Zone-1, Bhopal (M.P.) 462011, Phone-(0755) 2551642, Fax : (0755) 2551641
Website - www.mcu.ac.in

10. संतान पालन अवकाश महिला अभ्यार्थी को उसके संपूर्ण सेवाकाल के दौरान उसकी दो ज्येष्ठ जीवित संतानों की देखभाल के लिए अधिकतम 730 दिन की कालावधि का संतान देखभाल अवकाश स्वीकृत किया जा सकेगा।

11. संतान पालन अवकाश एक कैलेंडर वर्ष में तीन बार से अधिक के लिए स्वीकृत नहीं किया जाएगा। एक दिन के लिए उपभोग किया गया अवकाश भी एक बार के रूप में गिना जाएगा। यदि स्वीकृत किए गए अवकाश की कालावधि आगामी केलैंडर वर्ष में भी जारी रहती है तब बारी की गणना ऐसे निकटवर्ती केलैंडर वर्ष में की जाएगी जिसमें कि अवकाश का आवेदन किया गया था अथवा जिसमें आवेदन किए गए अवकाश का अधिक भाग आता है। केलैंडर वर्ष से अभिप्रेत है 1 जनवरी से प्रारंभ होकर 31 दिसम्बर तक की कालावधि।

12. सामान्यतः एक कैलेंडर वर्ष में एक बार में अधिकतम तीन माह का संतान पालन अवकाश स्वीकृत किया जा सकेगा। विशेष परिस्थितियों में प्रकरण के गुण–दोष के आधार पर तीन माह से अधिक के अवकाश आवेदन पर समिति द्वारा निर्णय लिया जाएगा।

13. अवकाश का अधिकार के रूप में दावा नहीं किया जा सकेगा। शैक्षणिक एवं कार्यालयीन कार्य प्रभावित न हो। अतः आवेदन के दिनांक एवं वरीयता क्रम से इस अवकाश को स्वीकृत किया जावेगा।

14. कार्य की अनिवार्यता और विकल्प उपलब्ध न होने की स्थिति में विश्वविद्यालय संतान पालन अवकाश के संबंध में प्राप्त आवेदनों पर उपयुक्त निर्णय ले सकेगा।

15. महिला कर्मचारी के संतान पालन अवकाश की अवधि में विभाग प्रमुख को उस महिला कर्मचारी के स्थान पर अन्य कर्मचारी की वैकल्पिक व्यवस्था संबंधित विभाग को ही करना होगी।

16. उपरोक्त नियमावाली के अतिरिक्त अस्पष्टता की स्थिति में शासन में दिये गए चाईल्ड केयर अवकाश नियमों का संदर्भ लिया जावेगा।

यह नियमावली, संतान पालन अवकाश के विश्वविद्यालय में प्राप्त आवेदनों में प्राथमिकता एवं अन्य शर्ते निर्धारित करने के लिए लागू होगीं।

(दीपेन्द्र सिंह बघेल)
कुलसचिव

क्र./स्था./2019/985
भोपाल, दिनांक03/06/2019

प्रतिलिपि सूचनार्थ हेतु अग्रेषित :–

1. निज सचिव, कुलपति/कुलाधिसचिव/कुलसचिव।
2. समस्त विभागाध्यक्षों/प्रभारी अधिकारियों को इस आशय के साथ सूचनार्थ कि वे अपने विभाग में समस्त कर्मचारियों को सूचना प्रदान करेंगें।
3. समस्त परिसर प्रभारियों को इस आशय के साथ सूचनार्थ कि वे अपने विभाग में समस्त कर्मचारियों को सूचना प्रदान करेंगें।
4. वेबसाईट पर इस आदेश की प्रति प्रदर्शित करने हेतु।
5. समस्त सूचना पटलों पर चस्पा करने हेतु।

(दीपेन्द्र सिंह बघेल)
कुलसचिव